संख्या-118/2020/358/22-2-2020-17(128)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2020**

विषय:-जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-02-2020) दिनांक-27-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राकेश तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी ग्राम-छपिया, थाना-पैकोलिया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी जमीन संबंधी रजिश में दिनांक 01.11.2000 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व रिवाल्वर से गोली मारकर दीनानाथ पाण्डेय (वकील) की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-01, बस्ती के आदेश दिनांक 26.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 23.01.2020 तक 15 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना होने, भविष्य में अपराध कारित करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी जमीन संबंधी रजिश में दिनांक 01.11.2000 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व रिवाल्वर से गोली मारकर दीनानाथ पाण्डेय (वकील) की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 43 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बन्दी दुष्चरित्र अपराधी है, पैरोल पर रिहा होने पर पुन: अपराध कारित कर सकता है तथा पूर्व में भी संगीन अपराध कारित किया गया है और भविष्य में अपराध कारित करने में सक्षम होने का जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-19441/19 राकेश तिवारी ऊर्फ बब्लू ऊर्फ अखिलेश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राकेश तिवारी (बन्दी संख्या-69/2018) पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

<u>संख्या-118/2020/358(1)/22-2-2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बस्ती।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-118/2020/358/22-2-2020-17(128)/2020
दिनांक 19 मार्च, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश तिवारी (बन्दी संख्या-69/2018) पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी, निवासी ग्राम-छपिया, थाना-पैकोलिया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी जमीन संबंधी रजिश में दिनांक 01.11.2000 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व रिवाल्वर से गोली मारकर दीनानाथ पाण्डेय (वकील) की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-01, बस्ती के आदेश दिनांक 26.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 23.01.2020 तक 15 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना होने, भविष्य में अपराध कारित करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी जमीन संबंधी रजिश में दिनांक 01.11.2000 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व रिवाल्वर से गोली मारकर दीनानाथ पाण्डेय (वकील) की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 43 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बन्दी दुष्चरित्र अपराधी है, पैरोल पर रिहा होने पर पुन: अपराध कारित कर सकता है तथा पूर्व में भी संगीन अपराध कारित किया गया है और भविष्य में अपराध कारित करने में सक्षम होने का जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश तिवारी पुत्र श्री रामयज्ञ तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in